

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद ।

सेवा में

प्रबन्धक

~~बाल जगत पब्लिक स्कूल~~
राजनगर गाजियाबाद

पत्रांक : आशु0/

8954

दिनांक

11-3-04

विषय : प्राईमरी स्तर की स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र पर शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र ~~नगर शिक्षा अधिकारी~~

एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा की गई संस्तुति पर दिनांक (3 मार्च 2004) में जिला मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी की स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है -

1. विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ कदापि संचालित न की जायें।
2. विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाये। अस्वीकृत पुस्तकें प्रयोग न की जाये।
3. निर्धारित शुल्क से ज्यादा कदापि न लिया जाये।
4. मान्यता विषय पत्रों में दी गयी सूचना मूलतः पाये जाने तथा विभागीय आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन न होने पर स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
5. कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्ते निश्चित रूप से बैंक माध्यम से किये जायें। अर्ह अध्यापकों को उनके पद पर स्थायी किया जाय तथा उन्हें प्राविधयी योजना की सुविधा दी जाय।
6. ग्राउण्ड डेस्कॉ की व्यवस्था की जाये।

भवदीय


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पू.सं० - आशु0/

/तद दिनांक

1. प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र गाजियाबाद सूचनार्थ
प्रेषित ।
2. नगर शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद गाजियाबाद ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद ।